हिंदी दैनिक खबर

हर पल, हमारी खबर

केशववाणी

बुधवार 11 फ़रवरी 2026 बर्ष 02 अंक 136 पृष्ठ 4 www.keshavtv24.com Email:keshavtvbihar@gmail.com

अनमोल वचन

जो मेहनत पर भरोसा करते हैं,
वह किस्मत की बात कभी नहीं करते।
कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं,
जीता वही जो डरा नहीं ।

नालंदा में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत डीएम ने बच्चों को दवा खिलाकर किया शुभारंभ

11 प्रखंडों में 18 लाख से अधिक लोगों को दी जाएगी दवा, 27 फरवरी तक चलेगा अभियान

शंकर कुमार सिन्हा की रिपोर्ट।

केशववाणी । बिहारशरीफ (नालंदा)। जिलेभर में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए मंगलबार को मॉडल सदर अस्पताल, बिहारशरीफ में जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने स्वयं छात्रों को फाइलेरिया रोधी दवा की खुराक खिलाकर सामूहिक दवा सेवन (एमडीए) कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। जिलाधिकारी ने कहा कि फाइलेरिया एक गंभीर लेकिन पूरी तरह से रोकी जा सकने वाली बीमारी है। इसके उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा सामूहिक दवा सेवन अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने आमजन से अपील की कि किसी भी भ्रांति में न पड़ें और स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा दी जा रही दवा का सेवन अवश्य करें। यह अभियान 10 फरवरी 2026 से 24 फरवरी 2026 तक घर–घर जाकर चलाया जाएगा। इसके बाद 25 से 27 फरवरी तक स्कूल, कार्यालय, रेलवे स्टेशन, अस्पताल और बस स्टैंड सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बूथ व कैंप लगाकर दवा वितरण किया जाएगा। साथ ही 11 फरवरी से आंगनबाड़ी केंद्रों पर मेगा कैंप भी लगाए जाएंगे। अभियान जिले के 11 प्रखंडोंकृबिहारशरीफ शहरी क्षेत्र, बिंद, चंडी, एकंगरसराय, इस्लामपुर, नूरसराय, परवलपुर, रहुई, सरमेरा, सिलाव और थरथरीकृमें संचालित किया जा रहा है।

जिले में कुल 18,12,203 लाभार्थियों को दवा देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 82 पर्यवेक्षक, 847 टीमें और 1,694 स्वास्थ्यकर्मी तैनात किए गए हैं। 11 फरवरी को लगभग 561 मेगा कैंप आयोजित किए जाएंगे, जिनमें बड़ी संख्या में जीविका समूह के सदस्य भी भाग लेंगे। सिविल सर्जन ने बताया कि फाइलेरिया, जिसे आम भाषा में हाथीपांव कहा जाता है, मच्छर के काटने से फैलता है। यह शरीर के हाथ–पैर, स्तन और अंडकोष (हाइड्रोसिल) को प्रभावित कर गंभीर दिव्यांगता का कारण बन सकता है। इस बीमारी का प्रभाव कई वर्षों बाद दिखाई देता है, इसलिए साल में एक बार फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन जरूरी है। दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को छोड़कर सभी को यह दवा दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि दवा हमेशा भरपेट भोजन के बाद ही लें। कुछ लोगों को हल्का बुखार, सिरदर्द, चक्कर या उल्टी जैसी सामान्य प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, जो शरीर में कीटाणुओं के नष्ट होने का संकेत है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि जरूरत पड़ने पर एंबुलेंस और अस्पताल में उपचार की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस अभियान के तहत डीईसी और एल्बेंडाजोल दवा दी जा रही है। महादलित विकास मिशन के विकास मित्र भी टोले–मोहल्लों में जागरूकता फैलाकर लोगों को दवा सेवन के लिए प्रेरित करेंगे। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, जिला स्वास्थ्य समिति के पदा. धिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

सांसद कौशलेंद्र कुमार ने लोकसभा में उठाया नालंदा विश्वविद्यालय को अधिक समावेशी बनाने का मुद्दा

स्थानीय छात्रों व युवाओं को प्राथमिकता देने की मांग

रानी सिन्हा की रिपोर्ट। केशववाणी । नालंदा के लोकसभा सांसद कौशलेंद्र कुमार ने संसद में नियम 377 के तहत नालंदा विश्वविद्यालय का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने विश्वविद्यालय को अधिक समावेशी बनाने और स्थानीय छात्रों व युवाओं को प्राथमिकता देने की मांग की। सांसद ने कहा कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय भारत के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक रहा है। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित नए नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में भारी धनराशि खर्च की गई है, वहीं बिहार सरकार ने इसके लिए मुफ्त में जमीन उपलब्ध कराई। इसके बावजूद स्थापना के 12 वर्ष बाद भी विश्वविद्यालय में कुल छात्रों की संख्या 500 से कम है और बिहार के छात्रों की संख्या 20 से भी कम है, जो चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप देने के नाम पर समावेशी शिक्षा की उपेक्षा की जा रही है, जबकि शिक्षा व्यवस्था सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी होनी चाहिए। ऊंची फीस और भारतीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की कमी के कारण कई योग्य छात्र प्रवेश से वंचित रह जाते हैं। सांसद कौशलेंद्र कुमार ने मांग की कि विदेश मंत्रालय के अधीन संचा. लित इस विश्वविद्यालय में स्थानीयता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नए कोर्स शुरू किए जाएं, ताकि क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान में भी मदद मिल सके। साथ ही कर्मचारियों की भर्ती में नालंदा जिले के स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाए और भारतीय छात्रों के लिए अधिक छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय लोगों के आकर्षण का केंद्र है, इसलिए प्रतिदिन निर्धारित समय पर पर्यटकों को परिसर के कुछ हिस्सों में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए।

लघु पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव शुरू, भक्ति के रंग में रंगा राजगृह तीर्थ,पहले दिन सम्पन्न हुई गर्भ कल्याणक क्रियाएं

अनुमंडल संवाददाता, राजगीर, राजीव लोचन की रिपोर्ट केशववाणी । राजगीर (नालंदा)। जैन धर्म की आस्था का प्रमुख केंद्र एवं पावन सिद्ध क्षेत्र राजगीर इन दिनों भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास से सराबोर है। यहां दो दिवसीय लघु पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ सराक केशरी मुनि श्री 108 विशल्य सागर जी महाराज के ससंघ सानिध्य में श्रद्धा और धूमधाम के साथ हुआ। महोत्सव के पहले दिन पूरा वातावरण धर्ममय हो उठा और मुनि श्री के तप, त्याग व ज्ञान की आभा से श्रद्धालु मंत्रमुग्ध नजर आए। कार्यक्रम की शुरुआत मंगल ध्वजारोहण के साथ हुई। इसके बाद भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। केसरिया और पारंपरिक वेशभूषा में सुसज्जित महिलाएं मस्तक पर मंगल कलश धारण कर अनुशासित कतारों में चल रही थीं। वहीं पुरुष वर्ग हा. थों में जैन ध्वज थामे बाजे–गाजे और जयकारों के साथ शोभायात्रा की गरिमा बढ़ा रहे थे। श्रद्धा, अनुशासन और भक्ति का अद्भुत संगम पूरे मार्ग में देखने को मिला।शोभायात्रा मंडप स्थल पह. ुचकर धर्मसभा में परिवर्तित हो गई, जहां धार्मिक अनुष्ठानों का क्रम शुरू हुआ। महोत्सव के पहले दिन का सबसे भावुक और महत्वपूर्ण क्षण तब आया, जब परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज के अष्टधातु निर्मित चरण चिह्नों को विराजमान करने हेतु वेदी शिलान्यास की पावन प्रक्रिया संपन्न हुई। मंत्रोच्चार के बीच श्रद्धालुओं ने नींव में ईंट, मंगल कलश एवं विभिन्न मांगलिक द्रव्य स्थापित किए। गुरु भक्ति का यह अनुपम दृश्य हर किसी को भावुक कर गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रत्येक श्रद्धालु ईंट नहीं, बल्कि अपनी श्रद्धा और आस्था की आधारशिला रख रहा हो। महोत्सव के दौरान पूरे क्षेत्र में धार्मिक उत्साह और आध्यात्मिक ऊर्जा का वातावरण बना रहा।

अखिल विश्व गायत्री परिवार ने बड़गांव तलाव को हरा–भरा बनाने का लिया संकल्प, श्रमदान, स्वच्छता और वृक्षारोपण अभियान चलाकर की साफ–सफाई

अमर वर्मा की रिपोर्ट। केशववाणी । (नालंदा)। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल नालंदा स्थित बड़गांव तलाव के किनारे गायत्री मंदिर के समीप अखिल विश्व गायत्री परिवार, नालंदा की ओर से श्रमदान, स्वच्छता एवं वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने तलाव के आसपास फैली गंदगी की साफ–सफाई की तथा किनारों पर पौधारोपण कर क्षेत्र को हरा–भरा बनाने का संकल्प लिया। पौधों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बांस और जाली से घेराबंदी की गई, ताकि उनका संरक्षण सुनिश्चित हो सके। पर्यावरण सह–संयोजक विनायक ने बताया कि यह अभियान पूरे जिले में नियमित रूप से साप्ताहिक तौर पर चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम शांतिकुंज, हरिद्वार द्वारा संचालित वृक्षारोपण आंदोलनों से प्रेरित है। मौके पर उपस्थित नगर पंचायत नालंदा, सिलाव–राजगीर के ब्रांड एंबेसडर व गायक भैया अजीत ने गायत्री परिवार के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण लोकहित का कार्य है, जिसमें सभी लोगों को बढ़–चढ़कर भाग लेना चाहिए।

उन्होंने कहा कि कोरोना काल ने हमें पेड़ों के महत्व का एहसास कराया है। यदि इसी तरह पेड़ों की कटाई जारी रही तो भविष्य में ऑक्सीजन की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक पौधा लगाकर उसका संरक्षण करना चाहिए।अभियान में अजय कुमार, गायत्री, मिथिलेश कुमार विद्यार्थी, अनुज कुमार, देवानंद, सत्येंद्र समेत जिले भर से लगभग 40 कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई।

विकसित भारत रोज़गार एवं आजीविका मिशन पर प्रेस वार्ता आयोजित

ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों का गारंटीकृत रोजगार मिलेगा : डीडीसी

शंकर कुमार सिन्हा की रिपोट **केशववाणी** । बिहारशरीफ (नालंदा)। उप विकास आयुक्त शुभम कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को विकसित भारत गारंटी रोज़गार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम, 2025 (टठ–ळ त।ड–ळ) से संबंधित प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए इसे ग्रामीण भारत के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। डीडीसी ने कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी रोजगार, स्वरोज़गार और आजी. विका के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लागू की गई है। इसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाना, पलायन रोकना और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करना है। उन्होंने बताया कि मिशन के तहत गारंटीकृत मजदूरी रोजगार की अवधि 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है, जिससे ग्रामीण परिवारों की आय सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। रोजगार ऐसे कार्यों से जोड़ा जाएगा, जो जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना निर्माण, आजीविका परिसंपत्तियों के विकास और जलवायु अनुकूल परियोजनाओं से संबंधित हों। सभी योजनाएं ग्राम पंचायतों की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार क्रियान्वित की जाएंगी।

यह योजना मनरेगा से आगे बढ़ते हुए अधिक एकीकृत और परिणामोन्मुख ढांचे में तैयार की गई है। परिसंपत्ति निर्माण को राष्ट्रीय स्तर के प्लेटफार्मों से जोड़ा गया है, जिससे योजनाओं के बेहतर समन्वय और संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। डीडीसी ने बताया कि मिशन से सिंचाई सुविधा, भू–जल पुनर्भरण, ग्रामीण सड़क, भंडारण और बाजार अवसंरचना के विकास से किसानों और ग्रामीण उद्यमियों को सीधा लाभ मिलेगा। रोजगार बढ़ने से ग्रामीण आय और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी तथा पलायन में कमी आएगी। किसानों के हित में बुआई और कटाई के मौसम में कार्यों को अस्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है, ताकि कृषि कार्य प्रभावित न हो। मजदूरी भुगतान को आधार आधारित पंजीकरण और डिजिटल प्रणाली से जोड़ा गया है, जिससे समय पर और पारदर्शी भुगतान सुनिश्चित होगा। निर्धारित समय पर रोजगार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान भी किया गया है। योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एआई आधारित निगरानी, रियल टाइम एमआईएस, जीपीएस सत्यापन और सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था की गई है। डीडीसी ने कहा कि इस मिशन के माध्यम से नालंदा जिले में मजदूरों, किसानों और जीविका समूहों के सदस्यों के सर्वांगीण विकास के लिए सतत प्रयास किए जाएंगे। प्रेस वार्ता में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, डीआरडीए निदेशक, मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

प्राथमिक विद्यालय कतरपुर में तिथि भोज का आयोजन, बच्चों में सामाजिक समरसता का संदेश

गुड्डू कुमार की रिपोट केशववाणी । कतरीसराय, नालंदा। प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय कतरपुर में प्रधान शिक्षक धीरेंद्र प्रताप के नेतृत्व में तिथि भोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में सामाजिक समरसता की भावना विकसित करना तथा एकल परिवार के बढ़ते चलन के बीच सामूहिक परिवार की महत्ता को रेखांकित करना था।

इस अवसर पर मध्याह्न भोजन योजना के प्रखंड साधन सेवी संतोष कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं विद्यालय शिक्षा समिति की अध्यक्ष सह वार्ड सदस्य रीना देवी, समिति की सचिव किरण देवी सहित अन्य सदस्य भी कार्यक्रम में शामिल हुए। तिथि भोज में विद्यालय के बच्चों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली।

कार्यक्रम के दौरान नियमित मेन्यू से अलग बच्चों को पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन थाली में परोसा गया, जिसकी अतिथियों ने सराहना की। संतोष कुमार और अजय प्रसाद ने कहा कि शिक्षा विभाग की ऐसी पहल बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के साथ–साथ सामाजिक मूल्यों को भी सुदृढ़ करती है।

कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय परिवार के श्रीकांत प्रसाद सिन्हा, रेखा कुमारी, निशा कुमारी, सरोज देवी, विद्या देवी और शशि रंजन का सराहनीय योगदान रहा। अंत में सभी अतिथियों ने विद्यालय परिवार के इस प्रयास को अनुकरणीय बताया।

नालंदा में डीएम ने फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का किया शुभारंभ, बाल भारती पब्लिक स्कूल के छात्रों को दवा खिलाकर हुई शुरुआत

शंकर कुमार सिन्हा की रिपोट केशववाणी । बिहारशरीफ (नालंदा)। जिले में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान (एमडीए) की औपचारिक शुरुआत मंगलवार को जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने मॉडल अस्पताल से की। इस अवसर पर डीएम ने बाल भारती पब्लिक स्कूल के छात्रों को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाकर अभियान की शुरुआत की।

जिलाधिकारी ने बताया कि अभियान दो चरणों में संचालित होगा। पहले चरण में 10 फरवरी से 24 फरवरी तक स्वास्थ्यकर्मी घर–घर जाकर दवा वितरण करेंगे, जबकि दूसरे चरण में 25 से 27 फरवरी तक बूथ स्तर पर कैंप लगाकर दवा दी जाएगी।

जिले के सभी 11 प्रखंडों में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत 18 लाख से अधिक लोगों को दवा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए 847 टीमों का गठन किया गया है, जिनमें कुल 1,694 स्वास्थ्यकर्मी तैनात हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि दवा खाली पेट न लें और अभियान में बढ़–चढ़कर सहयोग करें।

मौके पर स्कूल के निदेशक मनीष कुमार गौतम ने कहा कि इस दवा के सेवन से फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी से बचाव संभव है। सरकार द्वारा यह दवा घर–घर पहुंचाई जा रही है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें और जिले को फाइलेरिया मुक्त बनाया जा सके।

इस दौरान जिलाधिकारी ने मॉडल अस्पताल में स्थापित एआई कैमरे एवं अन्य आधुनिक सुविधाओं का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। कार्यक्रम में डीडीसी, सिविल सर्जन, जिला कार्यक्रम प्रबंधक सहित कई वरिष्ठ स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे।

मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत नालंदा कांग्रेस का धरना, प्रस्तावित कानून को बताया मजदूरों पर सीधा हमलासंशोधन वापस लेने की मांग, डीएम को सौंपा ज्ञापन

प्रेम कुमार की रिपोर्ट केशववाणी । बिहारशरीफ (नालंदा)। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित मनरेगा कानून में बदलाव के विरोध में नालंदा जिला कांग्रेस ने समाहरणालय अस्पताल चौक, बिहारशरीफ के समीप 'मनरेगा बचाओ संग्राम' के तहत जोरदार धरना–प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश प्रसाद 'अकेला' ने किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सा. पकर प्रस्तावित संशोधनों को वापस लेने की मांग की।

धरना को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष नरेश प्रसाद 'अकेला' ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) देश के गरीबों और मजदूरों की जीवन रेखा है। यह योजना केवल रोजगार का माध्यम नहीं, बल्कि करोड़ों ग्रामीण परिवारों को सम्मान और आत्मनिभ. रता के साथ जीवन जीने का अवसर देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रस्तावित नए कानून में कई ऐसे प्रावधान हैं, जो सीधे तौर पर मजदूरों के हितों के खिलाफ हैं।

उन्होंने मनरेगा से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाने की कोशिश की भी आलोचना करते हुए कहा कि यह देश की भावना और परंपरा के विपरीत कदम है। मनरेगा की पहचान गांधीजी के विचारों और ग्रामीण स्वावलंबन से जुड़ी है, ऐसे में नाम हटाना अस्वीकार्य है।

श्री अकेला ने कहा कि नए प्रावधानों के तहत राज्यों पर आर्थिक हिस्सेदारी का बोझ 40 प्रतिशत तक बढ़ाया जा रहा है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर राज्य समय पर राशि उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। इसका सीधा असर मजदूरों के रोजगार और भुगतान पर पड़ेगा। उन्होंने आशंका जताई कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में काम की उपलब्धता घट सकती है और मज. दूरों को समय पर मजदूरी नहीं मिल पाएगी।

उन्होंने राष्ट्रपति से मांग की कि मनरेगा की मूल भावना और संरचना को बरकरार रखा जाए तथा मजदूर विरोधी प्रस्तावों को तुरंत वापस लिया जाए। साथ ही कार्यकर्ताओं से प्रखंड स्तर तक आंदोलन तेज करने का आह्वान किया।धरना में जमील असरफ जमाली, डॉ. संजय पटेल, अनुज कुमार, मो. असकर भारती, हैदर आलम, रमेश पासवान, प्रो. फरहद जबीं, रामक. श्वर प्रसाद, निपेंद्र कुमार सिंह, अनिल कुमार चंद्रवंशी, धनंजय पटेल, दिलीप कुमार सिन्हा, मो. इम्तियाज आलम अधिवक्ता, रणधीर रंजन मंटू, भगवान प्रसाद अलबेला, सुरेंद्र सिंह, संजू पांडेय, सुलेखा देवी, रिंकू देवी, सुनीता देवी, रानी देवी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उप. स्थित रहे। सभी ने गरीबों और मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया।

पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय राजगीर में बालिकाओं को दिया गया आत्मरक्षा का प्रशिक्षण

अनुमंडल संवाददाता, राजगीर, रजीव लोचन की रिपोर्ट केशववाणी | राजगीर (नालंदा)। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय राजगीर में छात्राओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य बालिकाओं में आत्मविश्वास बढ़ाना तथा उन्हें किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति में अपनी सुरक्षा करने के लिए तैयार करना है।

विद्यालय के प्राचार्य विवेक किशोर ने कहा कि आत्मरक्षा केवल एक कौशल नहीं, बल्कि जीवन की आवश्यकता है। इससे बालिकाएं अपने परिवेश के प्रति सजग रहती हैं और किसी भी संकट की स्थिति में मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक रूप से स्वयं की रक्षा करने में सक्षम बनती हैं। उन्होंने कहा कि आज की बालिकाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए इस प्रकार का प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है।प्रशिक्षक कुंदन कुमार ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान छात्राओं को पंच, किक, ब्लॉकिंग जैसी तकनीकों के साथ–साथ गला, हाथ, बाल और कंधे को पकड़ने या खींचने की स्थिति से खुद को छुड़ाने के व्यावहारिक तरीके सिखाए जाएंगे। साथ ही सड़क या सुनसान स्थानों पर छेड़छाड़ जैसी परिस्थितियों में किस प्रकार साहस और सूझबूझ से अपनी रक्षा करनी है, इसकी भी जानकारी दी जाएगी।

इस अवसर पर प्रशिक्षण की नोडल शिक्षिका नेहा शर्मा, खेल शिक्षक बिल्टन तथा कोच मो. तौशिफ खान सहित विद्यालय परिवार के अन्य सदस्य उप. स्थित रहे।

झंडू कुमार की सफलता बनी प्रेरणा, हरनौत बाजार में हुआ भव्य स्वागत पैरा पावरलिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीतकर बढ़ाया बिहार का मान

राकेश पासवान की रिपोर्ट केशववाणी । हरनौत (नालंदा)। पैरा पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर देश–प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी झंडू कुमार का मंगलवार को हरनौत बाजार में भव्य स्वागत किया गया। उनके सम्मान में चंडी रोड स्थित द रॉकस्टार जिम परिसर से रथ के माध्यम से भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जो गोनावा रोड, स्टेशन रोड, डाकबंगला रोड, कल्याण बीघा मोड़ सहित पूरे बाजार क्षेत्र का भ्रमण करते हुए रूपसपुर गांव पहुंची। रूपसपुर में नगर पंचायत के पूर्व मुख्य पार्षद प्रत्याशी सह चेरन पैक्स अध्यक्ष राम प्रसाद सिंह ने अंगवस्त्र और माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि झंडू कुमार की लगातार जीत पूरे हरनौत ही नहीं, बल्कि बिहार और देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया। बिहार पैरा स्पोर्ट्स संगठन के अध्यक्ष डॉ. ए.के. सिन्हा ने कहा कि झंडू कुमार जैसे खिलाड़ी यह साबित करते हैं कि संसाधनों की कमी कभी प्रतिभा को नहीं रोक सकती। उन्होंने अपनी मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है और आज हजारों युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बन गए हैं। द रॉकस्टार जिम के संस्थापक गौतम सिंह द्वारा वर्ष 2020 में स्थापित जिम से जुड़कर झंडू कुमार ने अपनी खेल यात्रा को नई दिशा दी। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले दिव्यांग खिलाड़ी झंडू कुमार ने वर्ष 2019 में पावरलिफ्टिंग की शुरुआत की। वर्ष 2020 में 135 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। इसके बाद 2024 में 180 किलोग्राम उठाकर स्वर्ण पदक हासिल किया।

वर्ष 2025 की राष्ट्रीय चौंपियनशिप में 205 किलोग्राम भार उठाकर नया रिकॉर्ड बनाया और अगले ही दिन 206 किलोग्राम उठाकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने 1973 से चला आ रहा पुराना रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया। वर्तमान में झंडू कुमार एशियन रैंकिंग में प्रथम स्थान पर हैं, कॉमनवेल्थ स्तर पर भी शीर्ष रैंक में शामिल हैं और खेलो इंडिया चौंपियनशिप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड होल्डर बन चुके हैं। करीब एक वर्ष बाद जब वे अपने गृहक्षेत्र हरनौत लौटे, तो सैकड़ों लोगों ने उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। इस अवसर पर झंडू कुमार ने कहा कि धैर्य और मेहनत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। वहीं गौतम सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा की कमी नहीं है, जरूरत सिर्फ सही मार्गदर्शन और सुविधाओं की है। उनका जिम सभी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए हमेशा खुला है। कार्यक्रम में नालंदा पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सचिव कुंदन कुमार पांडे, बिहार पैरा स्पोर्ट्स संगठन के अध्यक्ष डॉ. शिवाजी कुमार, सचिव संदीप कुमार पांडे सहित कई खेलप्रेमी एवं स्थानीय लोग मौजूद रहे।

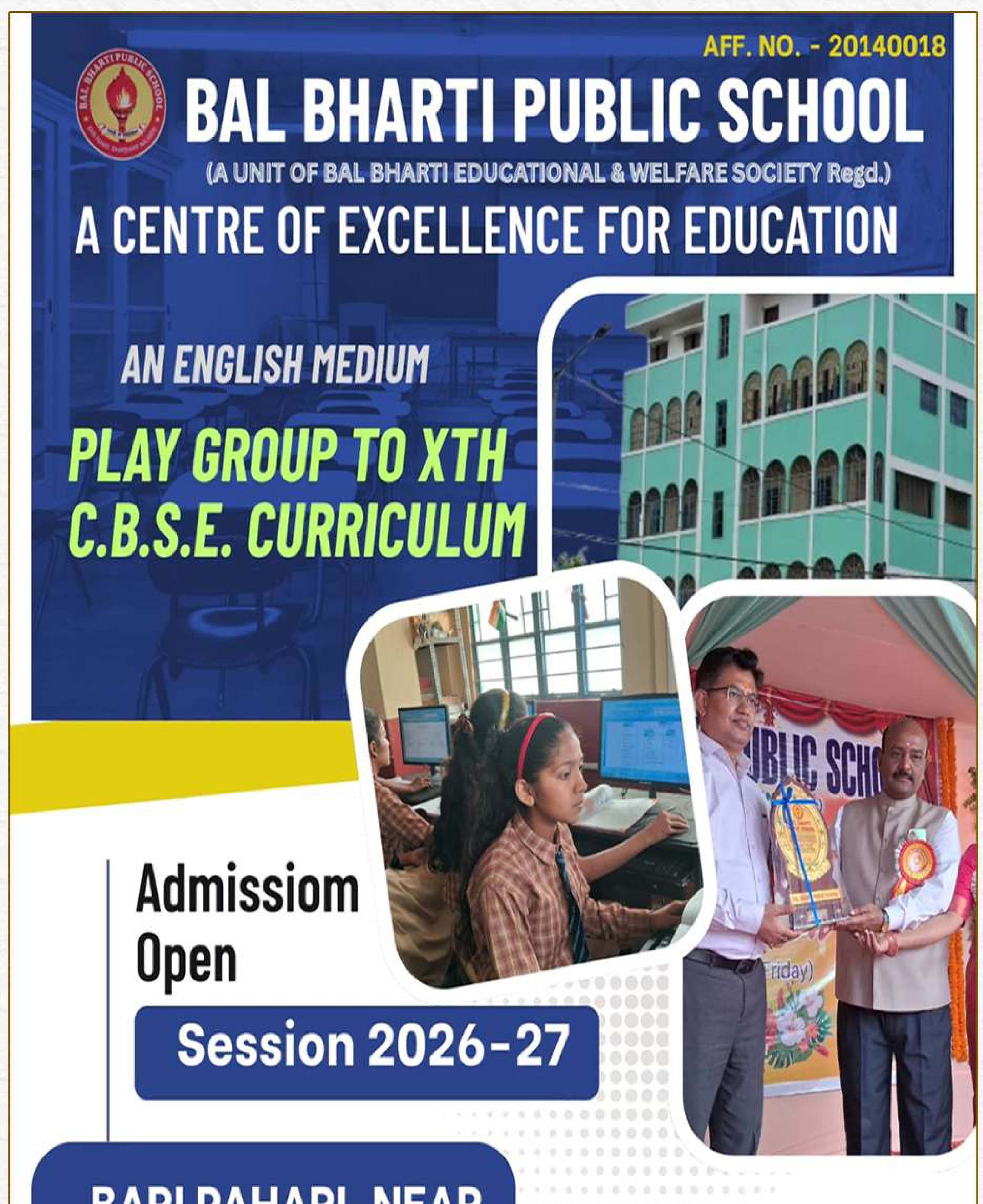

उच्च शिक्षण संस्थानों में यूजीसी एक्ट लागू करने की मांग, २६ फरवरी को डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन

केशववाणी बिहारशरीफ (संवाददाता)। शहर के श्रम कल्याण मैदान गेट के समीप गुरुसहाय लाल जागृति मंच के तत्वावधान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों के समर्थन में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उच्च शिक्षण संस्थानों में यूजीसी एक्ट को पूर्ण रूप से लागू करने की मांग उठाई गई। बैठक की अध्यक्षता चंद्रशेखर प्रसाद तथा अतिपिछड़ा/दलित/अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदेव चौधरी ने संयुक्त रूप से की। वक्ताओं ने कहा कि यूजीसी द्वारा 13 जनवरी 2026 से लागू 'समानता संवर्धन नियम–2026' का उद्देश्य कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों व कर्मचारियों के साथ होने वाले जातिगत भेदभाव को समाप्त करना है।

उन्होंने बताया कि नए नियम वर्ष 2012 के पुराने प्रावधानों की जगह ले रहे हैं। संशोधित नियमों में 'जाति–आधारित भ.`दभाव' को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है तथा प्रत्येक शिक्षण सं. स्थान में शिकायतों के निवारण के लिए एक विशेष सेल या समिति का गठन अनिवार्य किया गया है, ताकि छात्रों को सुरक्षित, सम्मानजनक और भेदभाव–मुक्त शैक्षणिक वातावरण मिल सके। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा हर वर्ग का अधिकार है और संस्थानों में किसी भी प्रकार का पक्षपात या भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने

सरकार से यूजीसी नियमों को सख्ती से लागू करने, समान शिक्षा प्रणाली सुनिश्चित करने तथा गरीब और वंचित वर्ग के छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की।

बैठक के दौरान उपस्थित लोगों ने शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए जागरूकता के नारे भी लगाए और समाज में शिक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की। निर्णय लिया गया कि 26 फरवरी 2026 को नालंदा जिला अधिकारी कार्यालय के समक्ष यूजीसी के समर्थन में प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शहर से लेकर गांव तक व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाएगा। इसके लिए 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है।

इस मौके पर अनिल पासवान, प्रशांत कुमार, प्रो. शिवकुमार यादव, चंद्रमणि चौहान, महेंद्र प्रसाद, कमलेश कुमार कमल, मिथिलेश प्रसाद वर्मा, मोहम्मद चांद समेत कई गणमान्य एवं बुद्धिजीवी उपस्थित रहे।

मानव जन जागृति अभियान के तहत मृत्यु भोज का बहिष्कार
गोलापुर गांव में लोगों ने ली कुरीति खत्म करने की शपथ

केशववाणी बिहारशरीफ (नालंदा)। मानव जन जागृति अभियान के तहत बिहारशरीफ प्रखंड की वियावनी पंचायत अंतर्गत गोलापुर गांव में सामा.जिक जागरूकता बैठक आयोजित कर मृत्यु भोज जैसी कुरीति के बहिष्कार का संकल्प लिया गया। बैठक में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और समाज सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाने पर जोर दिया। बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि मृत्यु भोज समाज पर एक अभिशाप की तरह है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ता है और गरीब परिवार कर्ज में डूब जाते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि मृत्यु भोज पर खर्च होने वाली राशि को बच्चों की शिक्षा, बेहतर पोषण और इलाज पर खर्च करें, ताकि परिवार और समाज दोनों का विकास हो सके। वक्ताओं ने कहा कि मृत्यु भोज जैसी परंपराएं व्यक्ति को आर्थिक रूप से कमजोर बनाती हैं और समाज के विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। ऐसे कुरीतियों को खत्म कर समतामूलक और जागरूक समाज का निर्माण करना समय की आवश्यकता है।इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने सामू.हिक रूप से शपथ ली कि अपने या परिवार में किसी की मृत्यु होने पर मृत्यु भोज का आयोजन नहीं करेंगे तथा सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाएंगे। कार्यक्रम में अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदेव चौधरी, डॉ. भीम. राव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल पासवान, मानव जन जागृति अभियान के मुखिया विनोद कुमार यादव, पूर्व परीक्षा अध्यक्ष विनोद कुमार, निवास कुमार, डायमंड कुमार, सुरेश ग्रुप, राजेंद्र कुमार, सरजुग रविदास, सोनू रविदास, महेंद्र प्रसाद, कमलेश कुमार, कमल मिथिलेश कुमार वर्मा सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

पॉक्सो कांड में अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास
खुदागंज थाना कांड संख्या 44/16 में एडीजे-07 कोर्ट का फैसला

केशववाणी खुदागंज/नालंदा। खुदागंज थाना कांड संख्या 44/16 से जुड़े पॉक्सो मामले में माननीय न्यायालय एडीजे–07, बिहारशरीफ (नालंदा) ने एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। नालंदा पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, समर्पित चार्जशीट तथा सुनवाई के दौरान समय पर गवाहों की उपस्थिति के आधार पर न्यायालय ने यह निर्णय दिया।मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 366ए, 376(2) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 04/06 के तहत दर्ज किया गया था। विचारण के क्रम में पुलिस ने सभी संबंधित प्रदर्श एवं साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला प्रमाणित हुआ।न्यायालय ने अभियुक्त दुर्गेश साव (पिता राजेश्वर साव, निवासी सेरयुआ, थाना खुदागंज, जिला नालंदा) को पॉक्सो एक्ट की धारा 04/06 के तहत दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।पुलिस अधिकारियों ने बताया कि त्वरित अनुसंधान और प्रभावी पैरवी के कारण पीड़िता को न्याय मिला है। इस फैसले से समाज में अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश गया है।

पॉक्सो कांड में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास
लहेरी थाना कांड में कोर्ट का सख्त फैसला

केशववाणी बिहारशरीफ (नालंदा)। लहेरी थाना कांड संख्या 520/22 से जुड़े गंभीर पॉक्सो मामले में माननीय न्यायालय एडीजे–04, बिहारशरीफ ने दो अभियुक्तों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। नालंदा पुलिस द्वारा प्रस्तुत ठोस साक्ष्यों, समर्पित चार्जशीट और ससमय गवाहों की पेशी के आधार पर न्यायालय ने यह कड़ा फैसला सुनाया। मामला धारा 363, 376डी भादवि, 04/06 पॉक्सो एक्ट तथा अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। विचारण के दौरान पुलिस ने सभी संबंधित प्रदर्श और साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला मजबूत साबित हुआ।
न्यायालय ने अभियुक्त श्रवण कुमार उर्फ राज (पिता स्व. कांग्रेस सादव, निवासी मंगलास्थान, थाना लहेरी, जिला नालंदा) को पॉक्सो एक्ट की धारा 06 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 25,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धारा 02 के तहत 10 वर्ष का कारावास एवं 2,000 रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर 10 माह का अतिरिक्त कारावास निर्धारित किया गया।

वहीं, दूसरे अभियुक्त मो. सन्नी (पिता मो. बबलू, निवासी पूर्णिया सिटी, थाना सदर, जिला पूर्णिया) को भी पॉक्सो एक्ट की धारा 06 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 25,000 रुपये अर्थदंड की सजा दी गई। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास होगा। साथ ही अवैध यातायात रोकथाम अधिनियम की धारा 05 के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2,000 रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले में साक्ष्यों के आधार पर त्वरित सुनवाई सुनिश्चित की गई, जिससे पीड़िता को न्याय मिल सका। इस फैसले से अपराधियों में कड़ा संदेश गया है।

हत्या कांड में चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास
हिलसा थाना कांड में एडीजे–01 कोर्ट का सख्त फैसला

केशववाणी हिलसा (नालंदा)। हिलसा/नालंदा। हिलसा थाना कांड संख्या 255/2022 से जुड़े हत्या मामले में माननीय न्यायालय एडीजे–01, हिलसा (नालंदा) ने चार अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। नालंदा पुलिस द्वारा प्रस्तुत ठोस साक्ष्यों, समर्पित चार्जशीट और सुनवाई के दौरान समय पर गवाहों की पेशी के आधार पर न्यायालय ने यह कड़ा फैसला सुनाया। मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 302/34 एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। विचारण के दौरान पुलिस ने सभी आवश्यक साक्ष्य एवं प्रदर्श न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला सिद्ध हुआ। न्यायालय ने सुरेन्द्र प्रसाद (पिता कृष्णा प्रसाद, निवासी पकड़िया बिगहा), रमेश प्रसाद (पिता स्व. केदार प्रसाद, निवासी मनपुरा), कुंती देवी (पति चन्द्रदीप प्रसाद) तथा संगीता देवी (पति मुन्ना कुमार), सभी निवासी पकड़िया बिगहा, थाना हिलसा, जिला नालंदा को धारा 302/149 भादवि के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 50,000 रुपये अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर 10 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।इसके अतिरिक्त सभी अभियुक्तों को धारा 147 भादवि के तहत एक वर्ष तथा धारा 148 भादवि के तहत दो वर्ष कारावास की सजा भी दी गई है। वहीं, मुख्य अभियुक्त सुरेन्द्र प्रसाद को 27 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाते हुए तीन वर्ष का कारावास एवं 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड नहीं देने पर दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास निर्धारित किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले में त्वरित अनुसंधान और प्रभावी पैरवी के कारण पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सका। इस फैसले से अपराधियों में कड़ा संदेश गया है।